FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :- अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

प्रार्थी :- बनाम अप्रार्थी:

1. लालाराम पुत्र पोकरलाल जाति मीणा निवासी कोसेलाव तह.सुमेरपुर
2. मुकेश पुत्र जोगाराम जाति गाडोलिया लौहार निवासी कोसेलाव तह. सुमेरपुर
3. झालाराम पुत्र पोकरलाल जाति गाडोलिया लौहार निवासी कोसेलाव तह. सुमेरपुर जिला पाली राज.

अप्रार्थी:

1. सरपंच, ग्राम पंचायत कोसेलाव तह. सुमेरपुर जिला पाली राज.
2. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कोसेलाव तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज.

किस्म मुकदमा : पंचायत विविध संख्या : 460 / 2024

(जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या : 2024 / 592)

पंचायत विविध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97(2) राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज।	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुयें
21-10-2024	प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पंचायत निगरानी के साथ अन्तर्गत धारा 97(2) राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994 के तहत प्रस्तुत कर जैर निगरानी प्रस्ताव संख्या 02 व 03 दिनांक 20.09.2024 एवं इसकी अनुपालना में जारी निलामी ईश्तिहार क्रमांक ग्रा.प.को / 2024 / 253 व 259 दिनांक 08.10.2024 की पालना एवं प्रभाव को स्थगित रखे जाने बाबत् पेश की है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो अप्रार्थीगण को जरिये नोटीस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 28.11.2024 को पेश हो। अतिरिक्त जिला कलेक्टर,बाली अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली, जिला-पाली	क्र. 1429 दि. 30/10/24 को नोटिस जारी।
28/11/2024	चूंकि आज पीठासीन अधिकारी ...अवकाश.... में पधारे है। पत्रावली दिनांक 02/12/24 को पेश हो। [initials]	
02/12/2024	पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरीकेन हाजिर। अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने हस्तगत प्रार्थनापत्र में जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस सुनने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने बहस के दौरान मूल अपील के पैरा संख्या 3, 4, 6 एवं 7 में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रास्ते के समर्पण राज. पंचायती राज अधिनियम की धारा 148 के उल्लंघन एवं घुमन्तु, अर्द्धघुमन्तु एवं आवासहीन व्यक्तियों के हितों पर कुठाराघात जैसे कारणों के आधार	

Scanned with OKEN Scanner

स्थगन प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 460/2024

उनवान : लालाराम व अन्य बनाम सरपंच ग्राम पंचायत कोसेलाव व अन्य अन्तर्गत धारा 97(2) राज. पंचायती राज. अधिनियम, 1994

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये

पर ग्राम पंचायत कोसेलाव के प्रस्ताव संख्या 02 एवं 03 दिनांक 20/09/2024 एवं इसकी अनुपालना में जारी निलामी इश्तिहार क्रमांक ग्रा.प.को/2024/253 व 259 दिनांक 08-10-2024 को स्थगित किया जाए।

अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने बहस के दौरान जाहिर किया कि प्रार्थीपक्ष द्वारा जिस निलामी इश्तिहार दिनांक 08.10.2024 को स्थगित करने का निवेदन किया गया है, उक्त निलामी ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित नहीं की गई अपितु ग्राम पंचायत द्वारा ख.नं. 1292 के सम्बन्ध में पूर्व में जारी निलामी कार्यक्रम को आदेश क्रमांक/281 दिनांक 23.10.24 द्वारा स्थगित कर दिया गया एवं ख.नं. 1121 के सम्बन्ध में ग्रामपंचायत के पत्रांक/344 दिनांक 20.11.24 द्वारा नवीन निलामी इश्तिहार जारी किया गया, जिसमें निलामी की तिथियाँ दिनांक 25.11.24 से 29.11.2024 रखी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया कि प्रश्नगत निलामी इश्तिहार दिनांक 08-10-2024 की क्रियान्विति में प्रस्तावित तिथियों में निलामी आयोजित नहीं हुई। अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों मय फर्द अहकाम शामिल पत्रावली किए गए एवं मूल अपील के प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं विद्वान अधिवक्तागण द्वारा बहस में उठाए गए तथ्यों व तर्कों पर मनन किया गया।

बहस में उठाए तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि

स्थगन प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 460/2024
[redacted]ान : लालाराम व अन्य बनाम सरपंच ग्राम पंचायत कोसेलाव व अन्य अन्तर्गत
धारा 97(2) राज. पंचायती राज. अधिनियम, 1994

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
	विचाराधीन स्थगन प्रार्थनापत्र में जिस नीलामी इश्तिहार दिनांक 08.10.2024 की क्रियान्विति को स्थगित करने की इस्तदुआ की गई है, उक्त नीलामी कार्यक्रम प्रस्तावित तारीखों में आयोजित ही नहीं हुआ फलतः प्रार्थनापत्र का Cause of Action स्वतः ही निष्प्रभाव हो चुका है। ऐसी स्थिति में 'आत्यंतिक आवश्यकता', प्रथम दृष्ट्या प्रकरण एवं प्रार्थी को अपूरणीय क्षति जैसे कारक भी अप्रासंगिक हो चुके हैं लिहाजा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थनापत्र सारहीन हो जाने के कारण खारिज किया जाता है। ग्राम पंचायत कोसेलाव के संकल्प प्रस्ताव दिनांक 20-09-2024 तथा उनकी अनुपालना में आयोजित नीलामी की वैधता/अवैधता का विनिश्चय मूल अपील में ही संभव है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर निर्णय सरे-इजलास सुनाया गया।	

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner